

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज. जयपुर
क्रमांक:- ई-18/एम/से.नि./जोन-अजमेर/एफ.05324/2023/ 754 दिनांक : 09/11/23

आदेश

श्री किशन लाल गुजर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी टोंक, जिनकी जन्म तिथि 01.02.1964 है को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.01.2024 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री किशन लाल गुजर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी टोंक, के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक :

क्रमांक:- ई-18/एम/से.नि./जोन-उदयपुर/एफ.05324/2023/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
4. श्री किशन लाल गुजर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
4982585

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal

Designation: Director

Date :07-11-2023 10:27:19